न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 2023/1298 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक– 27.10.2025

अनवान

1. गणेश सिंह पिता भंवरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी कागमदारडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. प्रेमसिंह पिता भंवरसिंह जी जाति राजपूज, उम्र वयस्क, निवासी कागमदारडा, तसहील देलवाडा, जिला राजसमंद।
3. मगनीबाई पत्नि भंवरसिंह जी जाति राजपूज, उम्र वयस्क, निवासी कागमदारडा, तसहील देलवाडा, जिला राजसमंद।
4. मांगुसिंह पिता भंवरसिंह जी जाति राजपूज, उम्र वयस्क, निवासी कागमदारडा, तसहील देलवाडा, जिला राजसमंद।
5. मानीबाई पत्नि भंवरसिंह जी जाति राजपूज, उम्र वयस्क, निवासी कागमदारडा, तसहील देलवाडा, जिला राजसमंद।

..... वादीगण

बनाम

1. गुलाब पिता हिरा जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी कागमदारडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

..... प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व आदेश 39 नियम 1,2 सी पी सी सपठित धारा 151 जा दी

उपस्थित– अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

विपक्षी बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एकपक्षीय।

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अतंर्गत आदेश 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व आदेश 39 नियम 1,2 सी पी सी व सपठित धारा 151 जा दी का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का वाद ठोस एवं सुदृढ आधारों पर प्रस्तुत कर रखा है जिसमें प्रार्थीगण को अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। प्रार्थीगण एवं विपक्षी के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां राजस्व ग्राम कागमदारडा, पटवार हल्का सेमल, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में स्थित है जिनका विवरण निम्न हैः–

खाता संख्या नया 104 पुराना 97

क्र.सं.	आराजी संख्या	रकबा	किस्म
1.	2356	0.2656	बंझण
2.	2357	0.1265	चाही उतम, बंझण
3.	2358	0.2782	चाही उतम
4.	2359	0.1012	चही उतम, जाव उतम, बंझण
5.	2360	0.0632	खादी
6.	2361	0.0632	बंझण
7.	2362	0.0885	चाही उतम, जाव

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

8.	2363	0.0126	उतम
9.	2364	0.1644	आ चा
10.	2366	0.0632	चाही उतम
11.	2367	0.1770	चाही उतम
12.	2368	0.2276	चाही उतम, जाव उतम
13.	2369	0.1391	चाही उतम, जाव उतम
14.	2370	0.1770	चाही उतम, जाव उतम
15.	2371	0.0379	खादी
16.	2365	0.0379	चाही उतम, जाव उतम
17.	2372	0.0253	बरानी 1
18.	2373	0.0759	खादी
19.	2374	0.5059	बंझण
20.	2375	0.1391	बंझण
21.	2376	0.885	खादी
22.	2377	0.0885	खादी
23.	2378	0.0759	बारानी 1
24.	2379	0.0506	बारानी 1
25.	2380	0.2150	खादी
26.	2381	0.0632	बारानी 1
27.	2382	0.0632	बारानी1
28.	2383	0.1138	खादी
29.	2384	0.0379	खादी
30.	2385	0.0253	खादी
31.	2386	0.0379	मकान
32.	2387	0.2023	बंझण, मकान
33.	2388	0.0253	खादी
34.	2389	7.3729	बंझण
35.	2390	0.1391	बंझण
36.	2391	1.0370	बंझण

कुल किता 36, कुल रकबा 12.3172 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

उपरोक्त विवरण की कृषि भूमियों में गणेशसिंह पुत्र भंवरसिंह 1/8, गुलाब पुत्र हिरा 1/2, प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह 1/8, मगनीबाई पत्नि भंवरसिंह 1/16, मांगुसिंह पुत्र भंवरसिंह 1/8, मानीबाई पत्नि भंवरसिंह 1/16 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमियों वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य में चली आ रही है तथा उक्त कृषि भूमियों का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं हुआ है, तथा राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण अपने हिस्से की कृषि भूमियों का सही तरीके से विकास नहीं कर पा रहे है तथा लगान चुकान में भी असुविधा हो रही है, इसलिए प्रार्थीगण अपना 1/2 हिस्सा विधिवत् रूप से, विभाजन कराना आवश्यक हो गया इसलिए उक्त विभाजन का वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। विपक्षी संख्या एक, प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करने पर भी बाधा एवं अवरोध उत्पन्न करते है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग नहीं करने देता है, तथा इसलिये प्रार्थी, विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 18.03.2023 को पैदा हुआ जब प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 को विधिवत् रूप से विभाजन करने हेतु कहा परन्तु टालमटोल का जवाब दिया तथा विधिवत् रूप से विभाजन करने हेतु तैयार नहीं हुए इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न होकर लगातार जारी है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है क्योंकि उक्त कृषि भूमियां संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है, जिसमें प्रार्थीगण का भी हक अधिकार निहित है इसलिये प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि विपक्षी, प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमियों के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है। प्रार्थीगण अपनी भूमियों के उपयोग–उपभोग से हमेशा के लिये वंचित हो जायेंगे तथा ऐसी क्षति होगी जो अर्थ में संभव नहीं है अतः तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र के कलम संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थीगण को अपने हिस्से अनुसार काश्त करने से नहीं रोके तथा प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार कि बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करें तथा उक्त कृत्य न तो स्वंय करें न ही नौकर, एजेन्ट एवं रिश्तेदार से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 बावजुद सूचना अनुपस्थित। बार–बार आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व कार्यवाही एक–तरफा करने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीगण एवं विपक्षी के के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की है। विपक्षी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों में बिना विभाजन कराए प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी के मध्य वादग्रस्त आराजीयात् का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। विपक्षी बिना वादग्रस्त आराजीयात् के विभाजन के निर्माण कार्य कर रहे है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीगण एवं विपक्षी के के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की है। विपक्षी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों में बिना विभाजन कराए प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी के मध्य वादग्रस्त आराजीयात् का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। विपक्षी बिना वादग्रस्त आराजीयात् के विभाजन के निर्माण कार्य कर रहे है प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रतीत होकर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निहित होने से विपक्षीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम कागमदारडा, पटवार हल्का सेमल, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में स्थित कृषि भूमियां जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या नया 104 पुराना 77 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391 कुल किता 36 कुल रकबा 12.3172 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाए रखें। इस हेतु विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो/नबंर से कम होकर/मूल वाद के साथ संलग्न होकर/दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, RAS)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

नाथद्वारा

सहायक कलक्टर

नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द